

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु क्रियान्वित जे0एन0एन0यू0आर0एम0- बी0एस0यू0पी0 योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर परियोजनाओं को चिन्हित करने एवं उनका वरीयता क्रम निर्धारित करने हेतु मा0 नगर विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति की दिनांक 10 मार्च 2008 को मध्याह्न 12.30 बजे सम्मान बैठक का कार्यक्रम।

उपस्थिति:-

उपस्थित सदस्य

- 1 श्री राम अचल राजभर, मा0 नगर विकास विभाग, उ0प्र0।
- 2 डा0 वशवन्त सिंह, मा0 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उ0प्र0।
- 3 श्री श्यामदेव राय चौधरी, मा0 विधायक, वाराणसी।
- 4 श्री प्रदीप माथुर, मा0 विधायक, मथुरा-वृन्दावन।
- 5 श्री एस0आर0 लाखा, प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
- 6 श्री शंकर अग्रवाल, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
- 7 श्री नवनीत सहगल, सचिव, मा. मुख्यमंत्री एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 8 श्री एन0वेवराज, निदेशक, न्यायिक निगम, उ0प्र0 शासन।
- 9 डा0 सुगता कुमार, निदेशक, नृदा।
- 10 श्री रमाकान्त पाण्डे, सयुक्त सचिव, उ0प्र0 राजस्व परिषद।
- 11 श्री गणेश शंकर त्रिपाठी, नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।
- 12 मोहम्मद रफीक सिद्दीकी, उपसचिव, राजस्व।
- 13 श्री राम निरंजन, अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
- श्री रामनवल सिंह, अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम उ0प्र0।

रिजिस्ट्रार (डी।)

18-3-08

En/Act/14

सा. व. डा. 19
 (1) श्री सिद्धान्ति
 (2) श्री श्री
 0-3-08

17cell

20/3/08

इ. ख. त.
 श. म. न. श. र.
 श. म. न. श. र.

बैठक में नोडल एजेन्सी सूडा द्वारा शहरी गरीबी निवारण बुनियादी सुविधाएं (बी0एस0यू0पी0) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार को सौंपित किए गए 10000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधाओं का विवरण निम्न प्रकार है-
 जनपद-आगरा के आगरा शहर को दो पारदर्शी परियोजनाएं (1) 2008 आवासों की परियोजना कुल लागत रु0 1859.26 लाख, (2) 632 आवासों की परियोजना कुल लागत रु0 1933.16 लाख, जनपद मेरठ के मेरठ शहर को 744 आवासों की परियोजना कुल लागत रु0 2034.47 लाख, जनपद वाराणसी के वाराणसी नगर (नट वर्स्ता) को 192 आवासों की परियोजना कुल लागत रु0 640.37 लाख, जनपद मथुरा के मथुरा नगर की 223 आवासों की संशोधित परियोजना कुल लागत रु0 805.31 लाख- इस प्रकार कुल 2399 आवासों की 05 परियोजनाएं जिनकी कुल लागत रु0 7272.57 लाख है समिति के सम्मुख विचारार्थ नोडल एजेन्सी सूडा द्वारा प्रस्तुत की गई समिति द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया-
 (1) शहरी गरीबों को आवास एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाएं 'शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं' (बी0एस0यू0पी0) में 16 मंडलनगरों- लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी एवं मेरठ (नू) इन्फ्रान्स्ट्रक्चर को लागत का 50 प्रतिशत एवं

Karyvrit

21/3/08
 28/3

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु क्रियान्वित जे0एन0एन0यू0आर0एम0- बी0एस0यू0पी0 योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर परियोजनाओं को चिन्हित करने एवं उनका वरीयता क्रम निर्धारित करने हेतु मा0 नगर विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति की दिनांक 10 मार्च 2008 को मध्याह्न 12.30 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थिति:-

- 1 श्री राम अचल राजभर, मा0 नगर परिधान विभाग, उ0प्र0 ।
- 2 डा0 वशवन्त सिंह, मा0 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उ0प्र0 ।
- 3 श्री श्यामदेव राय चौधरी, मा0 विधायक, वाराणसी।
- 4 श्री प्रदीप माथुर, मा0 विधायक, मथुरा-वृन्दावन।
- 5 श्री एस0आर0 लाखा, प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
- 6 श्री शंकर अग्रवाल, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
- 7 श्री नवनीत सहगल, सचिव, मा. मुख्यमंत्री एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 8 श्री एन0देवराज, निदेशक, स्वयं सेवक संघ, उ0प्र0 शासन।
- 9 श्री मुजुबब कुमार, निदेशक, सूडा।
- 10 श्री रमाकान्त पाण्डे, सयुक्त सचिव, उ0प्र0 राजस्व धारण।
- 11 श्री गणेश शंकर त्रिपाठी, नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ ।
- 12 मोहम्मद रफीक सिद्दीकी, उपसचिव, राजस्व।
- 13 श्री राम निरंजन, अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
- श्री रामनवल सिंह, अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम उ0प्र0।

रिपोर्ट (18/3/08)

18-3-08

En/AT/14

सीट नं. 5/1
(7) की सिफारिश
शुनी की सिफारिश
03/08

17cell

20/3/08

इ. खेत

राज्य सरकार

शहरी सुनिश्चर

1-0

22/3

बैठक में नोडल एजेन्सी सूडा द्वारा शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं (बी0एस0यू0पी0) योजना के अंतर्गत भारत सरकार की निम्न निम्नलिखित परियोजना सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण-आगरा के आगरा शहर का नए आवासों की परियोजना कुल लागत रु0 1859.26 लाख, (2) 632 आवासों का परियोजना कुल लागत रु0 1933.16 लाख, जनपद मेरठ के मेरठ शहर की 744 आवासों की परियोजना कुल लागत रु0 2034.47 लाख, जनपद वाराणसी के वाराणसी नगर (नट वस्ती) की 192 आवासों की परियोजना कुल लागत रु0 640.37 लाख, जनपद मथुरा के मथुरा नगर की 223 आवासों की संशोधित परियोजना कुल लागत रु0 805.31 लाख- इस प्रकार कुल 2399 आवासों की 05 परियोजनाएं जिनकी कुल लागत रु0 7272.57 लाख है समिति के सम्मुख विचारार्थ नोडल एजेन्सी सूडा द्वारा प्रस्तुत की गई समिति द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदन के लिए प्रेषित किया गया-

- (1) शहरी गरीबों को आवास एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाओं 'शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं (बी0एस0यू0पी0) में 16 महानगरों- लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी एवं मेरठ (नू) इन्फ्रान्स्ट्रक्चर की लागत का 50 प्रतिशत एवं

Karyvrat

22/3

0

5200

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु क्रियान्वित जे0एन0एन0यू0 आर0एम0 योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर परियोजनाओं को चिन्हित करने एवं उनकी वरीयता क्रम निर्धारित करने हेतु मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक-25.02.2008 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक में उपस्थिति :-

1. श्री अनुग्रह नारायण सिंह, मा0 विधायक, इलाहाबाद (उत्तरी) ।
2. श्री एस0आर0 लाखा, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. श्रीमती आराधना शुक्ला, सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. श्री सूर्य प्रकाश मिश्र, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. श्री आर0के0 सिंह, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
6. श्री शिवानन्द गिरि, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7. श्री बी0एल0 अग्रवाल, विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
8. सुश्री रेखा गुप्ता, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ ।
9. श्री यशवन्त राव, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
10. सुश्री उमा सिंह, उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
11. श्री के0के0 अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
12. श्री मुन्नीलाल पाण्डेय, नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद ।
13. श्री सन्तोष कुमार, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ ।
14. श्री ए0के0 गुप्ता, मुख्य अभियन्ता, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 ।
15. श्री पी0सी0 गोविल, मुख्य अभियन्ता, (नागर) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
16. श्री आर0के0 शर्मा, मुख्य अभियन्ता, जल निगम इलाहाबाद ।
17. श्री पी0 डेनियल, सी0ई0ओ0, कैंटोनमेन्ट बोर्ड लखनऊ ।
18. श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, प्रबन्ध निदेशक, स्नो फाउन्टेन ।
19. श्री डी0के0 सिंघल, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
20. श्री जे0पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ।
21. श्री एन0के0 पाण्डेय, अ0अ0, जल निगम इलाहाबाद ।
22. श्री गुलाब चन्द्र दुबे, सहायक अभियन्ता, जल निगम इलाहाबाद ।
23. श्री डी0एस0 त्रिपाठी, स0अ0, स्थानीय निकाय ।
24. श्री योगेन्द्र वर्मा, अ0अ0, कैंटोनमेन्ट बोर्ड लखनऊ ।
25. श्री दिनेश सिंह, अ0अ0, कैंटोनमेन्ट बोर्ड, लखनऊ ।
26. श्री मनोज त्रिपाठी, प्रोजेक्ट इंजीनियर, स्नो फाउन्टेन कन्सल्टेन्सी ।
27. श्री अशोक कुमार, सेनेटरी निरीक्षक, कैंटोनमेन्ट बोर्ड लखनऊ ।
28. श्री दिनेश कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता, तकनीकी स्थानीय निकाय ।

सर्व प्रथम बैठक में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत सम्मिलित शहरों में से नगर निगम इलाहाबाद एवं लखनऊ की योजनाओं यथा-इलाहाबाद सीवरेज योजना (भाग-1), लखनऊ कैंटोनमेन्ट बोर्ड की सीवरेज योजना तथा लखनऊ कैंटोनमेन्ट बोर्ड की पेयजल योजना का प्रस्तुतीकरण क्रमशः जल निगम के मुख्य अभियन्ता तथा कैंटोनमेन्ट बोर्ड के कन्सल्टेन्ट द्वारा किया गया । समिति

Karyvritt

A E (T) / En En
 1) त्रिपुल्लि जो अम्बाला
 निदेशिकाएं लेनी
 2) इस पत्र को
 आति (लखनऊ) में
 2154 नंबर नगर
 CE (2) जो DR
 स्वीकार है, इनको
 नगरीय बोर्ड में भेजें
 A E (T)
 Photo copy रखा
 नगर उपाय शा (लखनऊ) में
 11.3.08
 (3) आति लखनऊ
 श्री Karminder
 योजना की
 त्रिपुल्लि डी
 नगर /
 AC

18/3
 44/1 (तदु. व.)
 100
 18/3

द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित परियोजनाओं को चिन्हित करते हुए उनकी प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदन प्रदान किया गया :-

(धनराशि करोड़ ₹0 ५)			
शहर का नाम 1	क्र० 2	परियोजना का नाम 3	परियोजना की लागत 4
इलाहाबाद	1	जलोत्सारण योजना (भाग-1)	193.86
लखनऊ	2	लखनऊ कैंन्टोनमेन्ट बोर्ड की जलोत्सारण योजना	31.46
	3	लखनऊ कैंन्टोनमेन्ट बोर्ड क्षेत्र की पेयजल योजना	8.65
		योग	233.97

2- उक्त के अतिरिक्त नगर निगम, आगरा के कच्छपुरा क्षेत्र की कम्युनिटी पार्टीसिपेशन योजना के प्रस्ताव, जिसके अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय का निर्माण तथा उसके ट्रीटमेन्ट का कार्य कराया जाना है, के प्रस्ताव को भी समिति ने सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया ।

बैठक सथन्यवाद सम्पन्न हुई ।

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या-681/9-5-2008-386सा/2006

लखनऊ: दिनांक 05-3 फरवरी, 2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त सचिव (यूडी) एवं मिशन डायरेक्टर (जेएनएनयूआरएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
2. सम्बन्धित नगरों के मा० सांसद / मा० विधायक / मा० महापौर ।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, नगर विकास विभाग / आवास एवं शहरी नियोजन / परिवहन / पर्यावरण विभाग ।
4. मुख्य स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
5. निजी सचिव, कैबिनेट सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
6. निजी सचिव, सचिव (श्री नवनीत सहगल), मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ।
7. प्रमुख सचिव / सचिव, स्वास्थ्य / वित्त / पर्यावरण / आवास एवं शहरी नियोजन / परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम लखनऊ ।
11. नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ / इलाहाबाद ।
12. सी०ई०ओ०, लखनऊ कैंन्टोनमेन्ट बोर्ड ।
13. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आराधना शुक्ला)
सचिव ।

मा0 नगर विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 04-12-2007 को 4.30 बजे जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजनान्तर्गत गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण:-

- 1- श्री एस.आर. लाखा, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग।
- 2- श्रीमती आराधना शुक्ला, सचिव, नगर विकास विभाग।
- 3- श्री एस.पी. मिश्र, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग।
- 4- श्री बी.एल. अग्रवाल, विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग।
- 5- श्री शरीफ अहमद खॉं, विशेष सचिव, परिवहन विभाग।
- 6- श्री धीरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग।
- 7- श्री एच.एम.पी. कुशवाहा, अनुसचिव, लोक निर्माण विभाग।
- 8- श्री अशोक वर्मा, नगर आयुक्त, मेरठ।
- 9- श्री राम लिंगम, अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
- 10- श्री ए0के0 गुप्ता, मुख्य अभियन्ता, स्थानीय निकाय।

बैठक में निम्न दो बिन्दुओं पर विचार-विमर्श हुआ :-

- (1) प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी.एम.यू.) के गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति।
- (2) प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (पी.आई.यू.) के गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति।

2- बैठक में उक्त दोनों प्रस्तावों के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष महोदय एवं समिति को विस्तार से अवगत कराया गया।

3- दिसम्बर 2007 में जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्युवल मिशन (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) के दो वर्ष पूर्ण हुए हैं। यह मिशन 2005-2012 तक के लिए है। इसके मध्य भारत सरकार ने इसके क्रियान्वयन/उपलब्धियों की समीक्षा करने पर यह अनुभव किया है कि प्रदेशों एवं स्थानीय निकायों को योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये तकनीकी सहयोग एवं सुदृढीकरण की आवश्यकता है तथा इस हेतु 'स्टेट लेवल नोडल एजेंसी' (एस.एल.एन.ए.) प्रदेश स्तर पर एक 'प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट' (पी.एम.यू.) तथा स्थानीय निकाय पर 'प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट' (पी.आई.यू.) के गठन की योजना बनायी है तथा इसके लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इन्हीं दिशा-निर्देशों के क्रम में एस.एल.एन.ए. ने प्रदेश स्तर पर एक 'प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट' (पी.एम.यू.) एवं प्रदेश के 07 मिशन शहरों क्रमशः लखनऊ, कानपुर, इलहाबाद, वाराणसी, मेरठ, आगरा व मथुरा हेतु 'प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट' (पी.आई.यू.) के गठन की योजना बनायी है।

4- अवधारणा यह है कि पी.एम.यू. एवं पी.आई.यू. के लिये स्टाफ का जो ढाँचा बनाया गया है, उसके अनुसार कार्मिकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर 03 वर्ष के

लेये होगी अथवा प्रतिनियुक्ति से भी हो सकती है। भारत सरकार में गठित इस योजना हेतु तकनीकी सेल के लिये बड़ी-बड़ी परामर्शी संस्थाओं से सहयोग ले रही है।

5- भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य स्तर पर एस.एल.एन.ए. (स्टेट लेबल नोडल एजेंसी) के अधीन गठित होने वाले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट हेतु अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ रू० के शत-प्रतिशत वित्त पोषण की व्यवस्था है। प्रदेश में एस.एल.एन.ए. के तहत इसके गठन पर लगभग 97.60 लाख रूपये का व्यय आना सम्भावित है। यह धनराशि भारत सरकार द्वारा वहन की जायेगी तथा राज्य पर कोई वित्तीय भार पी.एम.यू. के गठन से नहीं पड़ेगा।

पी.एम.यू. के ढाँचे व सम्भावित व्यय का विवरण इस प्रकार बताया गया :-

Estimated Cost for Establishing PMU

S. No.	Name of Post	No. of post required	Expected monthly expenditure (in Rs.)	Yearly expenditure (in Rs. Lakhs)
1	Urban Planner	1	60,000	7.20
2	Projects Management and Procurement Specialist	1	60,000	7.20
3	Public Works and Public Health Engineer	2	60,000	14.40
4	MIS Expert	1	60,000	7.20
5	Municipal Finance Expert	1	60,000	7.20
6	Transport Planner	1	60,000	7.20
7	Landscape Architect	1	60,000	7.20
8	Social Development Expert	1	60,000	7.20
9	Computer Operator/Technical Assistance	4	10,000	4.8
10	Office Assistance	4	5,000	2.4
11	Traveling Expenditure	9	20,000 Per Head	21.60
12	Other Expenditure		25,000	4.00
	TOTAL			97.60

6- इसी प्रकार द्वितीय बिन्दु प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मिशन नगर में एक पी.आई.यू. का गठन होना है। इस पी.आई.यू. के गठन पर आने वाला वित्तीय भार का वहन प्रथम वर्ष में भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत किया जायेगा तथा अगले वर्ष यह क्रमशः कम होता जायेगा अर्थात् द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष में 50 प्रतिशत भारत सरकार

द्वारा इसके वित्तीय भार का वहन किया जायेगा तथा शेष धनराशि सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा स्वयं वहन करना होगा। इस प्रकार भारत सरकार अधिकतम तीन वर्ष वित्त पोषण करेगी, इसके कारण प्रदेश शासन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

प्रत्येक मिशन शहर में पी.आई.यू. के ढाँचे व सम्भावित व्यय का विवरण इस प्रकार बताया गया :-

Estimated Cost for Establishing Each PIU at 7 Mission Cities of U.P.

S. No.	Name of Post	No. of post required	expected monthly expenditure (in Rs.)	Yearly expenditure (in Rs. Lakhs)
1	Information Technology Officer	1	25,000	3.0
2	Municipal Finance Officer	1	25,000	3.0
3	Public Health Engineer	1	25,000	3.0
4	Social and Community Development Officer	1	25,000	3.0
5	Urban Planning Officer and Transport Planner	1	25,000	3.0
6	Procurement Officer	1	25,000	3.0
7	Enviromental Officer	1	25,000	3.0
8	Human Resource Devalopment officer	1	25,000	3.0
9	Supporting staff and other Expenditure	-	-	20.88
	TOTAL			44.88

7- बैठक में अपरिहार्य कारणों से सचिव, वित्त (श्री हरिराज किशोर) उपस्थित नहीं हो सके थे। इस सम्बन्ध में सचिव, नगर विकास की उनसे दूरभाष पर वार्ता हुयी तथा उक्त दोनों प्रस्तावों/इकाईयों के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। सचिव, वित्त ने दूरभाष पर कहा कि यदि प्रदेश सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है तो इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

8- सचिव, नगर विकास विभाग ने अवगत कराया कि भारत सरकार में दिनांक 06-12-2007 को सेन्ट्रल सेंकशनिंग एण्ड मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक होनी है। इस सम्बन्ध में सचिव, नगर विकास विभाग की श्री ए०के० मेहता, निदेशक, जे.एन.एन.यू.आर. एम., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से दूरभाष पर वार्ता हुई। दूरभाष

पर हुई वार्ता के क्रम में सन्दर्भित दोनों इकाइयों के गठन के प्रस्ताव की अग्रिम प्रति उन्हें भेज दी गयी है।

9- विस्तृत विचार विमर्श के बाद उक्त दोनों प्रस्तावों पर मा० अध्यक्ष महोदय एवं समिति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की।

उपर्युक्त विचार विमर्श एवं प्रस्तावों की स्वीकृति के बाद बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

प्राराधना शुक्ला
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-4328(9)9-5-2007-303 सा०/2007
लखनऊ दिनांक: 05 दिसम्बर, 2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित नगर के मा० सांसद / मा० विधायक।
- 2- निजी सचिव, मा० मंत्री, नगर विकास / आवास एवं शहरी नियोजन / परिवहन / पर्यावरण।
- 3- प्रमुख सचिव / सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
- 4- मुख्य स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निजी सचिव, कैबिनेट सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य / वित्त / पर्यावरण / आवास एवं शहरी नियोजन / परिवहन / लोक निर्माण विभाग।
- 7- महापौर / नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी।
- 8- अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् मथुरा।
- 9- निदेशक, जे.एन.एन.यू.आर.एम., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 10- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 11- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर जल निगम, लखनऊ।
- 11- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग।
- 12- निजी सचिव, सचिव, नगर विकास विभाग।
- 13- निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु क्रियान्वित जे.एन.एन.यू. आर.एम योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर परियोजनाओं को संचालित करने एवं उनका वरीयता क्रम निर्धारित करने हेतु मा0 नगर विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति की दिनांक 12.09.2007 को समय-12.00 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त :

उपस्थिति:-

<u>क्रमांक</u>	<u>नाम/पदनाम</u>	<u>विभाग</u>
1.	श्री गोविन्दन नायर, प्रमुख सचिव,	नगर विकास विभाग
2.	,, नवनीत सहगल, सचिव,	नगर विकास/ शहरी समग्र विकास एवं सूडा
3.	श्रीमती आराधना शुक्ला, सचिव,	नगर विकास विभाग
4.	श्री राजीव कपूर, सचिव,	नगर विकास विभाग
5.	,, एस.के. सिंह, नगर आयुक्त,	नगर निगम, लखनऊ
6.	,, सुशील कुमार, निदेशक,	सूडा
7.	,, आर.के. सिंह, विशेष सचिव,	सूडा एवं शहरी नियोजन
8.	,, सूर्य प्रकाश मिश्र, विशेष सचिव,	नगर विकास विभाग
9.	सुश्री रेखा गुप्ता, अपर निदेशक,	स्थानीय निकाय, उ0प्र0
10.	,,वी0वी0एल0एन0 शर्मा, मुख्य नगर नियोजक,	सूडा एवं नगर नियोजन विभाग,
11.	,, ए0के0 गुप्ता, मुख्य अभियंता,	स्थानीय निकाय, उ0प्र0
12.	,, त्रिलोकी नाथ, मुख्य अभियंता,	लखनऊ विकास प्राधिकरण

बैठक में जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गाजीपुर रिंग हैदर कैनाल पर मवैया से कार्लादास मार्ग चौराहे तक 4.98 कि0मी0 सड़क के परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर 136.12 करोड़ रुपये का आगणना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी :-

(अ) योजना में स्थानीय निकाय को जो 30 प्रतिशत वित्त निर्धारित है, उसका वहन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(ब) परियोजनाओं में सृजित सम्पत्तियों का (ख) के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।


(स) परियोजनाओं में उपलब्ध करायी गयी आशुवन की परीक्षण भारत सरकार भेजने से पूर्व उ०प्र० राज्य सेतु निगम से भी करा लिया जाये।

2- उक्त के क्रम में समिति के समक्ष वी०ए०ए० (वर्ष 0 योजना की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ नगर की 31 मलिन बस्तियों के रिलोकेशन की 8896 आवास सहित नगरीय मूलभूत सुविधाओं की रू० 182.92 करोड़ की परियोजना, जो परीक्षणोपरान्त रू० 182.92 करोड़ लागत की परियोजना है। राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी।

3- प्रस्तुत उक्त परियोजना में वित्त पोषण केन्द्रिय अनुदान- रू० 91.46 करोड़ राज्यांश- रू० 36.60 करोड़ प्राधिकरण का अंश- रू० 40.46 तथा लाभार्थी अंशदान (आवास लागत पर आंकलित) रू० 14.40 करोड़ प्रदान किया गया।

4- राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ नगर की तैयार की गयी 31 मलिन बस्तियों के रिलोकेशन की 8896 आवास सहित नगरीय मूलभूत सुविधाओं की रू० 182.92 करोड़ लागत की परियोजना प्रस्तर-3 में उल्लिखित वित्त पोषण के आधार पर केन्द्रीय अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय मानिटेरिंग एवं स्वीकृति समिति को स्वीकृत हेतु प्रेषित करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


(गोविन्दन नायर)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या- 3157 /नौ-5-2007
लखनऊ: दिनांक 12 सितम्बर, 2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्री गोविन्दन नायर, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग
2. ,, नवनीत सहगल, सचिव, नगर विकास/शहरी समग्र विकास एवं सूडा
3. श्रीमती आराधना शुक्ला, सचिव, नगर विकास विभाग
4. श्री राजीव कपूर, सचिव, वित्त विभाग
5. ,, एस.के. सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ
6. ,, सुशील कुमार, निदेशक, सूडा
7. ,, आर.के. सिंह, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन
8. ,, सूर्य प्रकाश मिश्र, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग
9. सुश्री रेखा गुप्ता, अपर निदेशक, स्थानीय विकास, उ०प्र०
10. ,, वी०वी०एल०एन० शर्मा, मुख्य नगर नियोजक, आस एवं नगर नियोजन विभाग
11. ,, ए०के० गुप्ता, मुख्य अभियंता, स्थानीय विकास, उ०प्र०
12. ,, त्रिलोकी नाथ, मुख्य अभियंता, लखनऊ विकास प्राधिकरण

आज्ञा से,


(नवनीत सहगल)
सचिव

शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु क्रियान्वित 'जे.एन.एन.यू.आर.एम.' योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर परियोजनाओं को चिन्हित करने एवं उनकी वरीयता क्रम निर्धारित करने हेतु मा. नगर विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित 'राज्य स्तराय स्टेयरिंग कमेटी' की दिनांक 17.07.07 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थित-

1. डा. राजेश मिश्र, मा. सांसद, वाराणसी।
2. श्री मो. शाहिद अखलाक, मा. सांसद, मेरठ।
3. श्री अरुण द्विवेदी, प्रतिनिधि (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, मा. सांसद, कानपुर)।
4. श्री श्यामदेव राव चौधरी, मा. विधायक, वाराणसी शहर दक्षिणी, वाराणसी।
5. श्री उदय लाल मौर्य, मा. विधायक, वाराणसी चिरईगांव, वाराणसी।
6. श्रीमती ज्योत्सना श्रीवारस्तव, मा. विधायक, वाराणसी कैन्ट, वाराणसी।
7. श्री सतीश महाना, मा. विधायक, कानपुर।
8. श्री इरफान सोलंकी, मा. विधायक, कानपुर।
9. श्री लखीराम नागर, मा. विधायक, खरखोदा, मेरठ।
10. श्री अनुग्रह नारायण सिंह, मा. विधायक, इलाहाबाद उत्तरी, इलाहाबाद।
11. श्री प्रदीप माथुर, मा. विधायक, मथुरा।
12. डा. दिनेश शर्मा, महापौर, नगर निगम, लखनऊ।
13. श्री रवीन्द्र शर्मा, महापौर, नगर निगम, कानपुर।
14. श्री बालदेव सिंह, महापौर, नगर निगम, वाराणसी।
15. चौ. जितेन्द्र नाथ सिंह, महापौर, नगर निगम, इलाहाबाद।
16. श्रीमती अंजुला माहौर, महापौर, नगर निगम, आगरा।
17. श्री श्याम सुन्दर उपाध्याय, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मथुरा।
18. श्री गोविन्दन नायर, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
19. श्री नवनील सहगल, सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
20. श्री एस.पी. मिश्र, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
21. श्री रामकृष्ण, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र., लखनऊ।
22. श्री आर.के. शुक्ला, विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
23. श्री एस.एस. खान, विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उ.प्र. शासन।
24. श्री एस.सी. पाण्डेय, उप परिवहन आयुक्त, लखनऊ।
25. श्रीमती नीलिमा श्रीवारस्तव, अनु सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
26. श्री धीरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
27. श्री जी.एन. पाण्डेय, प्रमुख समन्वय अधिकारी, नियोजन विभाग।
28. डा. जे.के. मट्ट, सदस्य सचिव, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
29. प्रो. निताय राय, निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
30. श्री के.के. अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।

31. श्री ए.के. गुप्ता, मुख्य अभियंता, स्थानाध्य निकाय निदेशालय, लखनऊ।
32. श्री शैलेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
33. श्री मणि प्रसाद मिश्र, नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
34. श्री लालजी राय, नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
35. श्री अशोक कुमार वर्मा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
36. श्री श्याम सिंह यादव, नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
37. श्री मुन्नी लाल पाण्डेय, नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद।
38. श्री पी.सी. गोविल, मुख्य अभियंता (नागर), उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
39. श्री सुरेश चन्द्र, महाप्रबंधक, उ.प्र. जल निगम, आगरा।
40. श्री एन.पी. त्यागी, परियोजना प्रबंधक, उ.प्र. जल निगम, आगरा।
41. श्री एस.के. दुबे, परियोजना प्रबंधक, विश्व बैंक इकाई, उ.प्र. जल निगम, आगरा।
42. श्री मनमोहन, मुख्य अभियंता, यू.पी.एस.आई.डी.सी., कानपुर।
43. श्री अजीत मिश्रा, अधि. अभियंता, यू.पी.एस.आई.डी.सी., कानपुर।
44. श्री हेमन्त कुमार, का.आ., उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
45. श्री पी.के. अग्रवाल, प्रोजेक्ट अभियंता पेयजल-11, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
46. श्री जी.सी. दुबे, सहायक अभियंता, द्वितीय शाखा, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद।
47. श्री जी.पी. राय, कम्प्यूटर सहायक, द्वितीय शाखा, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद।
48. श्री एन.के. पाण्डेय, अधि. अभियंता, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद।
49. श्री राजेन्द्र कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर (पेयजल-11), उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
50. श्री हरीश चन्द्रा, अधि. अभियंता, एन.यू.आर.एम. सेल, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।

सर्वप्रथम बैठक में जेएनएनयूआरएम योजनान्तर्गत सम्मिलित शहरों के नगर आयुक्तों एवं जल निगम के संबंधित अधिकारियों द्वारा योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत योजनाओं में से सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित परियोजनाओं को चिन्हित करते हुए उनकी प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदन प्रदान किया गया:-

(धनराशि लाख ₹0 में)

शहर का नाम	क्रमिक	परियोजना का नाम	परियोजना की मूल लागत	परियोजना की पुनरीक्षित लागत
लखनऊ	1	जलोत्सारण योजना डिस्ट्रिक्ट-1	8.20	411.00
	2	पेयजल योजना	366.72	609.30
	3	जल निकासी योजना पार्ट-2	350.00	350.00
इलाहाबाद	4	सीवरेज स्कीम आफ इलाहाबाद	267.44	267.44
	5	पेयजल योजना	357.76	363.85
	6	डोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना	21.76	21.76
कानपुर	7	जल निकासी योजना	96.23	96.23
	8	कानपुर स्थित उद्योगों का पुनर्स्थापन	1120.00	1120.00
	9	आन्तरिक सड़कों का सुधार	362.51	362.51

शहर का नाम	क्रमांक	परियोजना का नाम	परियोजना की भूल लागत	परियोजना की पुनरीक्षित लागत
वाराणसी	10	डीस अपशिष्ट प्रबंधन योजना	76.60	76.60
आगरा	11	पेयजल योजना	366.70	366.70
	12	जलोत्सारण योजना	25.70	25.70
		योग	3419.62	4071.09

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या- 2741 /नौ-5-2007-386सा/06
लखनऊ : दिनांक : 19 जुलाई, 2007

प्रतिलिपि बैठक में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. ✓ संयुक्त सचिव (यूडी) एवं मिशन डायरेक्टर (जेएनएनयूआरएम), भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. संबंधित नगरो के मा० सासद/मा० विधायक/मा० महापौर/अध्यक्ष।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/परिवहन/पर्यावरण।
4. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
5. निजी सचिव, कैबिनेट सचिव, उ०प्र० शासन।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य/वित्त/पर्यावरण/आवास एवं शहरीय नियोजन/परिवहन।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ।
10. निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
11. प्रबंध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
12. संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।